कार्यालय स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध पं0 राम प्रसाद विस्मिल चिकित्सालय शाहजहाँपुर

पत्रांकः– प्रधानाचार्य/ध्वस्तीकरण/2025–26/14381 दिनांकः–07 /09/2025

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध पं0 राम प्रसाद विस्मिल चिकित्सालय शाहजहाँपुर में बने नर्सिंग हास्टल के 08 मी0 सेट वैक एवं बड़ौदा यू0पी0 ग्रामीण बैंक के ध्वस्तीकरण एवं मलबे को हटवाये व पुराने सामान के निस्तारण की सार्वजनिक नीलामी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध पं0 राम प्रसाद विस्मिल चिकित्सालय शाहजहाँपुर में निम्नवत् की जायेगी।

क्र0 सं0	स्थान व कार्य	धरोहर धनराशि (रू० लाख में)	न्यूनतम विभागीय आरक्षित बोली (रू० लाख में)	नीलामी का स्थान, दिनांक व समय
1	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध पं0 राम प्रसाद विस्मिल चिकित्सालय शाहजहाँपुर में बने नर्सिंग हास्टल के 08 मी0 सेट वैकएवं बड़ौदा यू0पी0 ग्रामीण बैंक के ध्वस्तीकरण एवं मलबे को हटवाये व पुराने सामान के निस्तारण का कार्य।	0.25 लाख	0.35 लाख	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध पं0 राम प्रसाद विस्मिल चिकित्सालय शाहजहाँपुर दिनांकः–16.10. 2025 समयः– 03:00 PM

नीलामी से सम्बन्धित शर्ते निम्नवत् होगीः–

1– नीलामीकर्ता से अनुरोध है कि वह नीलामी से पूर्व स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध पं0 राम प्रसाद विस्मिल चिकित्सालय शाहजहाँपुर में बने नर्सिंग हास्टल एवं बड़ौदा यू0पी0 ग्रामीण बैंक के ध्वस्तीकरण एवं उससे प्राप्त पुराने सामान तथा मलबें को हटवाने के कार्य हेतु स्थल का भली–भांति निरीक्षण कर ले। इस हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म द्वारा बाद में किया गया कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। नीलामी जहॉ और जैसे के आधार पर की जायेगी।

2– विभागीय न्यूनतम आरक्षित बोली से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।

3– उच्चतम/सफल बोलीदाता द्वारा सभी प्रकार के मलवे का निस्तारण उ०प्र०, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में करना होगा।

4– बिना कारण बतायें बोली को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

5– यदि अधिकतम बोलीदाता अपनी बोली से पीछे हटता है अथवा बोली स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित अवधि में कार्य नही कर पाता है तो जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6– अधिकतम बोली बोलने वाले प्रथम व्यक्ति की धरोहर धनराशि कार्य समाप्ति तक वापिस नही की जायेगी। रोष व्यक्तियों की धरोहर धनराशि बोली के पश्चात् आवेदन करने पर वापिस कर दी जायेगी।

7– अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में बोली स्वीकृत होने के उपरान्त, बोलीदाता को निर्गत नोटिस के तीन दिन के अन्दर अवशेष धनराशि तथा नियमानुसार समस्त करों का भुगतान करना होगा, अन्यथा की दशा में बोली निरस्त कर दी जायेगी।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
शाहजहाँपुर

8– नीलामी में केवल वाणिज्य विभाग में, जी०एस०टी० अधिनियम के तहत, क्रय–विक्रय करने हेतु पंजीकृत ठेकेदार ही भाग ले सकेंगे।

9– इच्छुक बोलीदाता निर्धारित नीलामी की तिथि को 12:00 बजे अपरान्ह से पूर्व अपने प्रपत्र/ धरोहर राशि (निकद/ड्राफ्ट के रूप में) जो अधोहस्ताक्षरी के नाम बन्धक हो अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी।

10– अधिकतम बोलीदाता द्वारा अपनी बोली की 50 प्रतिशत धनराशि नीलामी की तिथि को ही जमा करनी होगी।

11– इच्छुक बोलीदाताओं के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को नीलामी परिसर में उपस्थित नही रहने दिया जायेगा।

12– शेष शर्ते शासन/विभाग द्वारा निर्धारित बिल्डिंग मेनुअल व अन्य शासकीय निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगी।

13– उच्चतम/सफल बोलीदाता द्वारा पुराने भवनों को अपने खर्चे पर धवस्त कर भवनों की भूमि को समतल करते हुए कार्यस्थल पर सभी प्रकार के मलवे का निस्तारण स्वीकृति जारी होने के 10 दिन के अन्दर करना होगा।

14– यदि ध्वस्तीकरण तथा मलवे हटाने का कार्य नीलामी की स्वीकृति जारी होने के 10 दिन के अन्दर नहीं किया जाता है, तो सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

15– भवनों के ध्वस्तीकरण/मलवा निस्तारण में यदि किसी कर्मचारी/लेवर आदि को चोट/क्षति पहुँचती है तो सफल बोलीदाता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी तथा नियमानुार सम्बन्धित को मुआवजा आदि देने हेतु बाध्य होगा।

16– भवनों के निकट स्थित अन्य भवनों/स्ट्रक्चर आदि को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचायें बिना भवनों का ध्वस्तीरकण/मलवा निस्तारण करना होगा। अन्य भवनों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचने पर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी।

7/9/21

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
शाहजहाँपुर

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध पं0 राम प्रसाद विस्मिल चिकित्सालय
शाहजहाँपुर